

कार्यालय उप वन संरक्षक, बून्दी

Add. - Nainwa Road, Behind Post Office, Bundi - 323001

E-Mail:- dcf.bundi.forest@rajasthan.gov.in, Tel. No. 0747-2456823, Fax No. 0747-2457462

क्रमांक एफ () सर्वे /उवसं / 2016-17/ 445

दिनांक 17/01/2017

निमित्त :

अधिशायी अभियन्ता,
(टी० एण्ड सी०),
रा०रा०वि०प्र०नि०लि०, कोटा (राज०)।

विषय:-765 के०वी० जी.एस.एस. अंता से 400 के०वी० जी.एस.एस. पावरग्रिड कोटा को जाने वाली प्रस्तावित 400 के०वी० एकल परिपथ लाईन के निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन प्रस्ताव।

प्रसंग:-आपका पत्र क्रमांक 1096 दिनांक 28.11.2016 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र से आप द्वारा 765 के०वी० जी.एस.एस. अंता से 400 के०वी० जी.एस.एस. पावरग्रिड कोटा को जाने वाली प्रस्तावित 400 के०वी० एकल परिपथ लाईन के निर्माण हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय में भिजवाया गया था। उक्त प्रस्ताव के अवलोकन एवं साईट पर मौका निरीक्षण के पश्चात निम्नानुसार त्रुटियां पाई गई :-

1. यह कि प्रस्ताव में वन सीमा का प्रारंभिक बिन्दु जिसके जी०पी०एस० कॉर्डिनेट्स N-25° 13' 11.81" E -75° 45' 55.34" उल्लेखित किया गया है। जबकि मौका निरीक्षण में प्रस्तावित लाईन का वन सीमा में प्रारंभिक बिन्दु का जी०पी०एस० कॉर्डिनेट्स N -25° 13' 18.90" E -75° 46' 2.14" पाया गया। जो प्रस्ताव में उल्लेखित प्रारंभिक बिन्दु से लगभग 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। अतः उक्तानुसार जी०टी० शीट एवं राजस्व मेप पर प्रस्तावित लाईन को सही प्रकार से चिन्हित कर भिजवाने का कष्ट करें। साथ ही खसरा अनुसार विवरण को भी संशोधित कर भिजवाने का कष्ट करें, जिससे कि प्रस्तावित लाईन से प्रभावित वन क्षेत्र के वास्तविक क्षेत्रफल की गणना किया जाना संभव हो सकें।
2. यह कि प्रस्ताव में प्रस्तावित लाईन के लिये R.O.W. 46 मीटर उल्लेखित किया गया है। जबकि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार की हेण्डबुक ऑफ वन संरक्षण अधिनियम, 1980 तथा वन संरक्षण नियम, 2003 की गाईड लाईन दि. 31.05.2004 के Annexuers-5 के बिन्दु संख्या 3 (i) (सुलभ संदर्भ हेतु छाया प्रति संलग्न है।) के अनुसार 400 के०वी० ट्रांसमिशन लाईन R.O.W. 52 मीटर होना चाहिये।

अतः उक्त प्रस्ताव में उक्तानुसार पाई गई कमियों की पूर्ति कर प्रस्ताव को इस कार्यालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किया जाना संभव हो सकें।

भवदीय

(दिग्विजय गुप्त)

उप वन संरक्षक
बून्दी

GUIDELINES FOR LAYING TRANSMISSION LINES THROUGH FOREST AREAS

1. Where routing of transmission lines through the forest areas can not be avoided, these should be aligned in such a way that it involves the least amount of tree cutting.
2. As far as possible, the route alignment through forest areas should not have any line deviation.
3. (i) The maximum width of right of way for the transmission lines on forest land shall be as follows:

Transmission Voltage (KV)	Width of Right of Way (Mts)
11	7
33	15
66	18
110	22
132	27
220	35
400	52
800	85

- (ii) Below each conductor, width clearance of 3 mts. would be permitted for taking the tension stringing equipment. The trees on such strips would have to be felled but after stringing work is completed, the natural regeneration will be allowed to come up. Felling/pollarding/pruning of trees will be done with the permission of the local forest officer whenever necessary to maintain the electrical clearance. One outer strip shall be left clear to permit maintenance of the transmission line.
- (iii) In the remaining width the right of way up to a maximum of 85 metres (for 800 KV lines), trees will be felled or lopped to the extent required, for preventing electrical hazards by maintaining the following:

Voltage (KV)	Minimum clearance between conductors and trees (Mts)
11	2.6
33	2.8
66	3.4
110	3.7
132	4.0
220	4.6
400	5.5

The sag and swing of the conductors are to be kept in view while working out the minimum clearance mentioned as above.

- (iv) In the case of transmission lines to be constructed in hilly areas, where adequate clearance is already available, trees will not be cut.
4. Where the forest growth consists of coconut groves or similar tall trees, widths of right of way greater than those indicated at SI. No.3 may be permitted in consultation with the CEA.